संख्या- 33/2021-844/58-2021-24/2019टी0सी0-1

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः: दिनांकः 31 मार्च, 2021**

विषयः- जनपद संतकबीर नगर में स्थापित लोहिया पर्यावरणीय पार्क के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत धनराशि रू0 45.77 लाख में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-154/बजट/2020-21, दिनांक-30.03.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-32/2021- 839/58- 2021-24/2019टीसी-1, दिनांक 30.03.2021 द्वारा अनुदान सं0-10 के लेखाशीर्षक-2406-02-112-04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत कुल धनराशि रू0-45.77 लाख को एतदद्वारा संशोधित करते हुए इस योजना में अद्यतन अवशेष बजट सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में वर्णित मानक मदों के सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल धनराशि रू0-28.61 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**शासनादेश संख्या- 32/ 2021-839/58- 2021- 24/2019 टीसी-1, दिनांक 30.03.2021 द्वारा स्वीकृत धनराशि**	**स्तम्भ-3 में स्वीकृत धनराशि को संशोधित करते हुए की जा रही संशोधित स्वीकृति धनराशि**
1	2	3	4
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क			
02-मजदूरी	50.00	6.89	6.89
42-अन्य व्यय	45.00	25.02	9.62
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00	13.86	12.10
योग		**45.77**	**28.61**

(1) शासनादेश संख्या- 32/ 2021-839/58- 2021- 24/2019 टीसी-1, दिनांक- 30.03.2021 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश की अन्य शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 2406-02-112-04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020- 231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/ दस- 2020- 231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या- 5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020- 231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

<u>संख्या- 33/2021-844 (1)/58-2021, तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियन्त्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी/कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in